न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

CNR No.UPBB 0100 3732 2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1667 / 2026

राजबीर सिंह आयु करीब 37 साल पुत्र राज सिंह निवासी सदरपुर करौरा थाना व तहसील गोंसाईगंज, जिला लखनऊ।

––––– प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–406 / 2024
धारा–420, 506 भा0दं0सं0
थाना–सतरिख
जिला–बाराबंकी

अभियुक्त की ओर से	**श्री संजय कुमार यादव**
अभियोजन पक्ष की ओर से	**श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।**
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	**12.06.2026**
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	**08.07.2026**

<u>निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी अजय कुमार पुत्र गजोधर प्रसाद निवासी ग्राम शेखनापुरवा मजरे निरऊमऊ कोतवाली सतरिख जिला बाराबंकी का मूल निवासी है, विपक्षी रामनिवास पुत्र वंशीलाल निवासी नरौली थाना सतरिख जनपद बाराबंकी ने लगभग 6 वर्ष पूर्व प्रार्थी से कहा कि राजवीर सिंह पुत्र जय सिंह मो. न. 9794566520 निवासी अजात से मुलाकात कर लो , उनके दोस्त की नारनिया इंटरनेशनल एनिमल्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रथम तल, 595/KN–1181 राजा बिजली पासी–1 औरंगाबाद बालसा फ्रंट गेट नं–2, गोमेक्स सिटी बिजनौर रोड नियर होटल मप्पले

डिलाइट लखनऊ–226025 के नाम से एक कंपनी है, जिसका रजि. नं U01100UP2019PTC115303 है, जिसमें सुपर स्टकिट की जगह खाली है कंपनी का सामान मुर्गी दाना व मछली दाना की सप्लाई करना है । विपक्षीगण रामनिवास पुत्र बंशीलाल व राजवीर सिंह ने कहा की चलो, तुमको हम अपने ऑफिस ले चलते हैं । उन लोगों ने प्रार्थी को बहला फुसलाकर ऑफिस ले जाकर मनीष कुमार सिंह पुत्र सुबेदार सिंह मो. न. 9450575057 निवासी अज्ञात से बात कराई और कहा कि ये कंपनी के मालिक हैं। इनसे बात कर लो, तो मनीष कुमार सिंह ने कहा कि सुपर स्टकिट हेतु सामान की सिक्योरिटी के लिए 1000000/ – दस लाख रूपये जमा करने पड़ेंगे, जिससे बाराबंकी जिले का आपको सुपर स्टाकिट बनाया जाएगा। जिसमें लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये प्रतिमाह के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाएगा। उक्त विपक्षीगणों की बातों पर विश्वास करके प्रार्थी ने नारनिया इंटरनेशनल एनिमल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाता संख्या 2963020001608 बैंक ऑफ बड़ौदा इंदिरा नगर लखनऊ IFCS CODE RTGS BARBOINDIRA पर दिनांक 23.05. 2019 को 300000/– (तीन लाख रुपये के माध्यम से सिक्योरिटी फीस ट्रांसफर कर दिया था तथा चार दिन बाद राजबीर सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फीस काफी कम दिया है इसके लिए विपक्षी राजवीर आपको 600000/– (6 लाख रुपये) सिक्योरिटी फीस और देने होंगे तो प्रार्थी ने अपनी जमीन गिरवी रखकर राम आधार पुत्र छेदा निवासी निरऊमऊ तेज नारायण उर्फ बबलू पुत्र अज्ञात निवासी अकबरपुर डेहवा दोनों लोगो के सामने विपक्षी राजवीर सिंह को 600000/– (छः लाख रूपये) नगद दिया। परन्तु प्रार्थी को उक्त विपक्षीगणों ने नारनिया इंटरनेशनल एनिमल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर स्टाकिट नहीं बनाया और प्रार्थी का कुल 900000/– (नौ लाख रूपये) जालसाजी धोखाधड़ी करके हड़प कर लिया। कुछ दिन बाद प्रार्थी उक्त लोगों से अपना रुपया वापस मांगने लगा तो उक्त विपक्षीगणों ने आजकल कहकर टालते रहे और विपक्षी राजवीर सिंह ने प्रार्थी को अपने कोटक महिंद्रा खाता संख्या 9312328826 की चेक संख्या 000044 में 300000/– (तीन लाख रूपये) का फर्जी चेक प्रार्थी के नाम काट दिया। प्रार्थी जब चेक लेकर बैंक गया, तो उसके खाते में रूपये रूपये ही नहीं थे। प्रार्थी जब–जब अपना बकाया रुपया मांगने के लिए उक लोगों के पास फोन करता है तो उक्त लोग प्रार्थी का फोन काट देते हैं और मोबाइल बंद कर लेते है प्रार्थी जब उक्त लोगों से अपना बकाया रुपया मांगता है, तो उक्त विपक्षीगण एक राय होकर प्रार्थी को रुपया वापस करने से इंकार करते हुए एलानिया धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर दुबारा तुमने रुपया वापस माँगा ,तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उक्त विपक्षीगण दबंग व सरहंग किस्म के व्यक्ति है। दबंगई के

बल पर प्रार्थी का बकाया रुपया वापस नहीं कर रहे हैं। उक्त विपक्षीगण, प्रार्थी व प्रार्थी के घर वालो के साथ कभी भी अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं जिससे प्रार्थी काफी डरा व सहमा हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी को बहलाया फुसलाया नही है न ही कोई धनराशि प्राप्त किया गया है न ही जमा कराया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नही है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त को दौरान विवेचना अग्रिम जमानत, प्रदान की गयी थी। प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है। सह अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। उक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से व्यवसाय हेतु सिक्योरटी के नाम पर 10,00,000/—रूपये की मांग की गयी, जिसमे से कुल 9,00,000/—रूपये वादी ने अभियुक्तगण को व्यवसाय हेतु दिये। परन्तु कुछ समय पश्चात् 3,00000/—रूपये की चेक काट कर दिया। उक्त चेक बैंक से धन न होने के कारण अनादरित हो गयी। अभियुक्तगण द्वारा कोई व्यवसाय नहीं कराया गया और वादी का पैसा हड़प लिया गया। अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रो के अवोकन से पाया जा रहा है कि घटना दिनांक 23.05.2019 की समय अज्ञात की दर्शायी गयी है जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.09.2024 को 23:08 बजे दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जा रहा है कि वादी मुकदमा द्वारा 3,00,000/—रूपये जरिये आरटीजीएस नारनिया इंटरनेशनल एनिमल्य प्रा0लि0 कम्पनी के खाता में जमा किया तथा 6,00,000/—रूपये विपक्षी राजवीर सिंह को दिये जाने का कथन किया है। वादी द्वारा विपक्षीगण को कुल 9,00,000/—रूपये दिये जाना और उक्त रूपयो को अभियुक्तगण द्वारा हड़प लिये जाने का कथन किया गया है।

मामले में अभियुक्त को पूर्व में अग्रिम जमानत पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जा चुका है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना जमानत आदेश का उल्लघंन नहीं किया गया है। थाने से आहूत

आख्या में आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राजबीर सिंह उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन–50,000/–रूपये(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि की एक प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1–आवेदक/अभियुक्त दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

2–अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताड़ित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3–आरोप, साक्ष्य, धारा–351 बीएनएसएस के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेगा तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक–08.07.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899